



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548]

नई दिल्ली, बुधस्पतिवार, सितम्बर 29, 2011/आश्विन 7, 1933

No. 548]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2011/ASVINA 7, 1933

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग)

(Department of Revenue)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2011

New Delhi, the 29th September, 2011

सा.का.नि. 731(अ).—स्वापक औषध एवं मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव, श्री संदीप एम. भटनागर को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से सशक्त करती है।

G. S.R. 731(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), the Central Government hereby specially empowers Shri Sandeep M. Bhatnagar, Joint Secretary to the Government of India, for the purpose of the said Section.

[फा. सं. यू 11022/14/2011-पीआईटीएनडीपीएस]

[F. No. U. 11022/14/2011-PITNDPS]

नीता गुप्ता, अवर सचिव

NITA GUPTA, Under Secy.